

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. ७(७)डीओपी/ए-२/२०२३

जयपुर, दिनांक: ६.२.२०२४

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों तथा विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (~~प्रशासनिक संशोधन~~) नियम तथा विनियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 6ग का जोड़ा जाना.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 के विद्यमान नियम तथा विनियम 6ख के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम तथा विनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“6ग. ऐसे अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति जो कोरोना वायरस संक्रामक रोग (कोविड-19) के कारण अनाथ हो गये।- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गया है, अनुकम्पात्मक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा,-

(i) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और

(ii). अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अहंताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।

(2) चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अहंता पर जोर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अहंता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसमें विफल होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

6/2/2024

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, अध्यर्थी से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण या तो अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अहता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अहता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदर्भ नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(3) ऐसे अनाथ को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय या ऐसे अनाथ की नियुक्ति के समय उसके कुटुंब का कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त है।

(4) यदि अनाथ उसकी अवयस्कता के कारण तुरन्त नियोजन लेने की स्थिति में नहीं है तो पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु प्राप्त करने पर उसे नियोजन दिया जा सकेगा।


(5) ऐसा अनाथ नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टिकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए अनाथ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, अपने जैविक या दत्तक माता-पिता (दोनों) जिनकी मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो गयी है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और दूसरे की मृत्यु 31.03.2023 को या उससे पूर्व कोरोना के कारण हो

6W

गयी है, अठारह वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है जो अपने माता-पिता मृत्यु के समय
उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।””

राज्यपाल के आदेश और नाम से,


(जवाहर लाल नेहरू)

संयुक्त शासन सचिव।

३ (ii) / १०२६